भारत सरकार

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 3387
दिनांक 12.03.2026 को उत्तर के लिए नियत

पंजाब के जिलों में पीएमईजीपी

3387. **श्री मलविंदर सिंह कंगः**

क्या **सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) वित्त वर्ष 2024-25 और 2025-26 के दौरान मोहाली, रूपनगर, होशियारपुर और शहीद भगत सिंह नगर (नवांशहर) जिलों में प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) के अंतर्गत प्राप्त, संस्वीकृत आवेदनों की कुल संख्या कितनी है और कितनी इकाइयां संस्थापित की गई हैं;

(ख) गढ़शंकर, बंगा, चमकौर साहिब और खरड़ ब्लॉकों से छह माह से अधिक समय से लंबित आवेदनों, विशेषकर अनुसूचित जाति और महिला उद्यमियों द्वारा प्रस्तुत किए गए आवेदनों का ब्यौरा क्या है;

(ग) होशियारपुर जिले में खाद्य प्रसंस्करण इकाई के आवेदनों की रिपोर्ट की गई अस्वीकृति दर के क्या कारण हैं और इन आवेदकों को तकनीकी सहायता प्रदान करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(घ) बैंक समन्वय को कारगर बनाने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं ताकि अर्ध-पहाड़ी और ग्रामीण क्षेत्रों में विशेष श्रेणी के आवेदकों के लिए 35 प्रतिशत राजसहायता का वितरण प्रशासनिक बिलंब के बिना किया जाना सुनिश्चित किया जा सके?

उत्तर

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम राज्य मंत्री

(सुश्री शोभा करांदलाजे)

(क): वित्त वर्ष 2024-25 और वित्त वर्ष 2025-26 (दिनांक 09.03.2026 तक) के दौरान मोहाली, रूपनगर, होशियारपुर और शहीद भगत सिंह नगर (नवांशहर) जिलों में प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) के अंतर्गत बैंको द्वारा प्राप्त एवं स्वीकृत आवेदनों और स्थापित इकाइयों की संख्या का विवरण **अनुलग्नक-I** में दिया गया है।

(ख): वित्त वर्ष 2024-25 और वित्त वर्ष 2025-26 (दिनांक 09.03.2026 तक) के दौरान अनुसूचित जाति और महिला उद्यमियों द्वारा प्रस्तुत पीएमईजीपी आवेदनों की संख्या, जो गढ़शंकर, बंगा, चमकौर साहिब और खरड़ ब्लॉकों से ऋण निर्णय लेने के लिए छह महीने से अधिक समय से वित्तपोषक बैंकों के पास लंबित हैं, **अनुलग्नक-II** में दी गई हैं।

(ग): पीएमईजीपी के अंतर्गत, प्रत्येक परियोजना की व्यवहार्यता का आकलन करने के बाद संबंधित वित्तपोषक बैंकों द्वारा परियोजनाओं की अंतिम स्वीकृति और ऋण जारी किया जाता है। होशियारपुर जिले में खाद्य प्रसंस्करण क्रियाकलापों से संबंधित पीएमईजीपी आवेदनों को वित्तपोषक बैंकों द्वारा अस्वीकार करने के प्रमुख कारणों में शामिल हैं; परियोजना आर्थिक रूप से व्यवहार्य नहीं, लाभार्थी से अनिवार्य दस्तावेजों की प्राप्ति नहीं हुई और लाभार्थी बैंक औपचारिकताएं पूरी करने में असमर्थ है। खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों से संबंधित आवेदकों सहित सभी पीएमईजीपी आवेदकों को तकनीकी सहायता प्रदान करने के लिए उठाए गए कदमों में शामिल हैं:

i. विभिन्न उद्योगों पर 1,000 से अधिक मॉडल विस्तृत परियोजना रिपोर्ट की एक विस्तृत श्रृंखला तैयार की गई हैं और पीएमईजीपी ऑनलाइन पोर्टल पर उपलब्ध कराई गई हैं।
ii. भावी उद्यमियों के लिए दो दिवसीय निःशुल्क ऑनलाइन उद्यमिता विकास कार्यक्रम (ईडीपी)।
iii. भावी लाभार्थियों को चिह्नित करने और आवेदन प्रक्रिया के दौरान आवश्यक मार्गदर्शन और पथप्रदर्शन सहायता प्रदान करने के लिए बैंकों की भागीदारी के साथ आवेदक जागरूकता और आउटरीच कार्यक्रम।

(घ): पीएमईजीपी के अंतर्गत, विशेष श्रेणी के लाभार्थियों सहित लाभार्थी के ऋण खाते में मार्जिन मनी (एमएम) सब्सिडी का संवितरण, प्रशासनिक देरी से बचने के लिए लाभार्थी द्वारा अनिवार्य शर्तों की पूर्ति के अध्यधीन है; इनमें परियोजना लागत में लाभार्थी का स्वयं का योगदान और उद्यमिता विकास कार्यक्रम (ईडीपी) प्रशिक्षण को सफलतापूर्वक पूरा करना शामिल है।

अर्ध-पहाड़ी और ग्रामीण क्षेत्रों में विशेष श्रेणी के आवेदकों सहित लाभार्थियों को सब्सिडी का समय पर संवितरण सुनिश्चित करने के लिए बैंक समन्वय को सुव्यवस्थित करने के लिए किए जा रहे उपायों में निम्नलिखित शामिल हैं:

i. ऋणों की उचित संस्वीकृति और मार्जिन मनी संवितरण को सुनिश्चित करने के लिए शीर्ष स्तर की बैंकर बैठकें, राज्य स्तरीय बैंकर्स बैठकें और जिला स्तरीय बैंकर्स बैठकें नियमित रूप से आयोजित की जाती हैं।
ii. बैंको का कार्यनिष्पादन सहित पीएमईजीपी के कार्यान्वयन की निगरानी और समीक्षा के लिए राज्य स्तर की निगरानी समिति (एसएलएमसी) और जिला स्तर की निगरानी समिति (डीएलएमसी) की बैठकें नियमित रूप से राज्य और जिला स्तर पर आयोजित की जाती हैं।
iii. मंत्रालय द्वारा कार्यान्वयन एजेंसियों अर्थात खादी और ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी), केवीआईसी के राज्य कार्यालयों, राज्य खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड (केवीआईबी), जिला उद्योग केंद्रों (डीआईसी) और वित्तीय संस्थानों के साथ समय-समय पर समीक्षा बैठकें।
iv. केवीआईसी द्वारा आयोजित आवेदक जागरूकता और आउटरीच कार्यक्रमों में बैंकों की नियमित भागीदारी।
v. बैंकों ने अपनी संबंधित शाखाओं को सलाह दी है कि वे पीएमईजीपी के अंतर्गत ऋण आवेदनों का समयबद्ध मूल्यांकन और निपटान सुनिश्चित करें, विशेष रूप से महाराष्ट्र राज्य के जनजातीय क्षेत्रों में।

****

अनुलग्नक-I

दिनांक 12.03.2026 को उत्तरार्थ लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं. 3387 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक-I

वित्तीय वर्ष 2024-25 और वित्तीय वर्ष 2025-26 (दिनांक 09.03.2026 तक) के दौरान मोहाली, रूपनगर, होशियारपुर और शहीद भगत सिंह नगर (नवांशहर) जिलों में पीएमईजीपी के अंतर्गत बैंकों द्वारा प्राप्त एवं स्वीकृत आवेदनों और स्थापित इकाइयों की संख्या:

वित्तीय वर्ष	क्र.सं.	जिला	बैंकों द्वारा प्राप्त आवेदनों की सं.	बैंकों द्वारा संस्वीकृत आवेदनों की सं.	स्थापित इकाइयों की सं.
2024-25	1	मोहाली	0	0	0
	2	रूपनगर	169	68	27
	3	होशियारपुर	257	107	63
	4	शहीद भगत सिंह नगर (नवांशहर)	120	60	21
2025-26 (दिनांक 09.03.2026 तक)	1	मोहाली	0	0	0
	2	रूपनगर	127	54	49
	3	होशियारपुर	170	68	54
	4	शहीद भगत सिंह नगर (नवांशहर)	94	38	37

अनुलग्नक-II

दिनांक 12.03.2026 को उत्तरार्थ लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं. 3387 के भाग (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक-II

वित्त वर्ष 2024-25 और वित्त वर्ष 2025-26 (दिनांक 09.03.2026 तक) के दौरान एससी और महिला उद्यमियों द्वारा जमा किए गए पीएमईजीपी आवेदनों की संख्या जो, गढ़शंकर, बंगा, चमकौर साहिब और खरड़ ब्लॉकों से ऋण निर्णय लेने के लिए छह महीने से अधिक समय से वित्तपोषक बैंकों के पास लंबित हैं:

क्र.सं.	ब्लॉक	एससी उद्यमी	महिला उद्यमी
1	गढ़शंकर	4	3
2	बंगा	3	1
3	चमकौर साहिब	0	1
4	खरड़	3	8